भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4553

उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

उत्तर प्रदेश में नई रोशनी योजना का कार्यान्वयन

4553. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई रोशनी योजना के अंतर्गत कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों, प्रशिक्षण भागीदारों या कार्यान्वयन एजेंसियों की वर्ष 2020 से राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए संख्या और संचालन की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिला लाभार्थियों की राज्यवार और जिलावार तथा वर्षवार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए कितनी संख्या है; और

(घ) क्या योजना के वास्तविक लाभ का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण के बाद के परिणामों की कोई लेखापरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): नई रोशनी योजना 2012-13 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य महिला अधिकारों और 'नेतृत्व विकास' संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके अल्पसंख्यक महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना था। प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिलाओं के लिए कार्यक्रमों से संबंधित क्षेत्र शामिल थे जैसे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का पक्ष-समर्थन। नई रोशनी योजना को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से 6 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करके और उसके बाद 12 महीने तक की अवधि के लिए सभी लाभार्थियों को सहयोग प्रदान करके लागू किया गया था। नई रोशनी योजना के तहत, शुरुआत से ही, पूरे भारत से लगभग 4.35 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश से 2.37 लाख महिलाएं

शामिल थी। इसके अलावा, उक्त योजना में लाभार्थियों का जिलेवार डेटा नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) द्वारा परियोजना-स्तर पर किया जाता था, न कि राज्य-स्तरीय आधार पर। तदनुसार, उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार या ज़िला-वार निधि आवंटन आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 से उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित कुल बजट का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	**बजट अनुमान (करोड़ रु. में)**	**संशोधित अनुमान (करोड़ रु. में)**	**वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)**
2020-21	10	6	6
2021-22	8	2.5	2.99
2022-23	2.5	2	0.62
2023-24	0.1	0	0
2024-25	0	0	0
कुल योग	**20.6**	**10.5**	**9.61**

नई रोशनी योजना को बंद कर दिया गया है और इसे एक एकीकृत योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, जो मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती कौशल और सशक्तिकरण योजनाओं को एकीकृत करती है और अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक स्तर की आकांक्षाओं और चुनौतियों पर ज़ोर देती है, और प्रासंगिक कौशलों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाती है। पीएम विकास योजना का नेतृत्व और उद्यमिता उप-घटक, "नेतृत्व और बुनियादी उद्यमिता विकास" और "उद्यमिता विकास" पर क्रमशः 60 और 120 घंटे के तीन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, चयनित प्रतिभागियों को बिज़नेस सखी या उद्यमी मित्र बनने के लिए 240 घंटे का अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर अन्य महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी इच्छुक प्रतिभागियों को करियर परामर्श प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें उपयुक्त शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण या रोज़गार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रशिक्षित महिलाओं को ऋण और बाज़ार संपर्क सहित उद्यम स्थापना सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थायी उद्यम स्थापित करने में मदद मिल सके।

नई रोशनी योजना का प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययन किया गया और रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (url: https://minorityaffairs.gov.in/WriteReadData/RTF1984/1658406313.pdf) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

*****